झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

(विज्ञान एवं प्रावैधिकी परिसर)

सिरखा टोली, नामकुम, राँची– 834010 (झारखण्ड) Website- www.jutranchi.ac.in

(Email id- jutestablishment@gmail.com/ jutexaminations@gmail.com)

पत्रांक :– **JUT-48/2018/** **Ex** /राँची, दिनांक :– **/08/2022**

प्रेषक,

परीक्षा नियंत्रक,
झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राँची।

सेवा में,

निदेशक/प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य/केन्द्राधीक्षक
विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त सभी अभियंत्रण संस्थान एवं परीक्षा केन्द्र।

विषयः– B.Tech. 6th Semester Examination 2022 की दिनांक 29.08.2022 को आयोजित परीक्षा स्थगित करने के संबंध में।

महाशय/महाशया,

निदेशानुसार उर्पयुक्त विषयक सूचित किया जाता है कि न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, दुमका का ज्ञापांक 849/अनु0सा0न्या0, दिनांक 28.08.2022 से प्राप्त सूचना अलोक में B.Tech. 6th Semester Examination 2022 की परीक्षा जो दिनांक 29.08.2022 को आयोजित की गई परीक्षा को स्थगित की जाती है। इसकी अगले तिथि की घोषणा बाद में की जायेगी।

अनुलग्नकः– न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, दुमका का ज्ञापांक प्रति।

माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार
विश्वासभाजन

ह0/-

परीक्षा नियंत्रक,
झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राँची।

ज्ञापांक संख्या **JUT-48/2018/885 Ex** /राँची, दिनांक :– 29 **/08/2022**

प्रतिलिपिः–01. कुलपति महोदय, झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राँची को सादर सूचित।
02. विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिनियुक्त सभी पर्यवेक्षकों को सूचनार्थ प्रेषित।
03. पी0एम0यू0 एवं संबंधित शाखा, झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

29/8/22

परीक्षा नियंत्रक,
झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
राँची।

न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी,दुमका ।

कि0 मी0 वाद सं0-........./2022

सरकार बनाम आम जनता दुमका अनुमंडल

(धारा 144 द0 प्र0 स0)

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी के साथ
1	2	3

प्राप्त सूचना के अनुसार आग से झुलसने से घायल, सुश्री अंकिता कुमारी का रिम्स रांची में ईलाज के क्रम में मृत्यु हो गयी है। उक्त आलोक में इस घटना की विरोध में विभिन्न संगठनों के द्वारा दुमका में धरना/प्रदर्शन करने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

अतः उपरोक्त वर्णित सभी तथ्यों के विश्लेषनोपरांत संतुष्ट होकर **मैं महेश्वर महतो, अनुमंडल दण्डाधिकारी, दुमका** संपूर्ण दुमका अनुमंडल क्षेत्रान्तर्गत दिनांक-28.08.2022 से अगले आदेश तक द0प्र0स0 की धारा 144 के तहत् प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए निम्नांकित शर्तो के साथ निषेधाज्ञा लागु करता हूँ:-

(1) 05 व्यक्ति या उससे अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा पूर्णतः निषेद्य रहेगा।

(2) इस निषेधाज्ञा के प्रभावी होने के साथ ही बिना किसी पूर्वानुमति के किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन, सार्वजनिक रूप से एकत्रित होकर धार्मिक सभा, सामुहिक भोज, जुलूस/रैली इत्यादि का आयोजन आदि पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।

उपर्युक्त निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को आपदा प्रबंधन अधिनियम् 2005 की सुसंगत धाराओं तथा भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के सेक्शन 188 के तहत् दंडनीय होंगे।

इस आदेश की प्रति जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, दुमका को आम जनता के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु भेजें। इस आदेश की प्रति सभी संबंधित पदाधिकारियों को भेजी जा रही है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जायेगी। यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय का मुहर से निर्गत किया गया।

लेखापित एवं संशोधित

28/8/22

अनुमंडल दण्डाधिकारी
दुमका

28/8/22

अनुमंडल दण्डाधिकारी
दुमका

ज्ञापांकः- 849 **/अनु0सा0न्या0** **दिनांकः-** 28/8/22

प्रतिलिपिः-जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, दुमका को सूचनार्थ एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र द्वारा व्यापक प्रचार प्रसार हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः-सभी अंचलाधिकारी, दुमका/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, दुमका/ सभी थाना प्रभारी, दुमका जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः-सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, दुमका जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः-असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, दुमका को

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः-पुलिस अधीक्षक, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः-उपायुक्त, दुमका को सूचनार्थ समर्पित।

अनुमंडल दण्डाधिकारी।
दुमका।